Research Paper IMPACT FACTOR VALUE : 5.983 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 11 | ISSUE : 11 |NOVEMBER 2025

नारी सशक्तिकरण के विविध आयाम और चुनौतियां

साधना सिंह [1] | डॉ. साक्षी शर्मा [2]

[1] शोधार्थी, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर.

[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर.

ABSTRACT:

नारी सबला है या अबला यह बात अब पुरानी हो चुकी है।अब मुख्य मुद्दा है कि नारी सशक्त भारत की सशक्त प्रहरी है या अभी नहीं।और इसी के परिप्रेक्ष में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठता है। वास्तव में सशक्तिकरण के कई आयाम हैं और महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कई चुनौतियां अभी भी विद्यमान है।इस चुनौती के आलोक में नारी अभी भी संघर्ष कर रही है। हो सकता है कि उसका राजनीतिक सशक्तिकरण हो चुका हो, जैसा की राजनीतिक क्षेत्र में दर्शाया जाता है। परंतु राजनीतिक सशक्तीकरण भी केवल राजनीतिक आरक्षण तक ही सीमित है। क्या कभी विधायकपति, प्रधानपति कि बगैर महिला विधायक या प्रधान रह पा रही है। शायद नहीं वास्तव में सशक्तिकरण के कई आयाम है।1- पारिवारिक सशक्तिकरण, 2- सामाजिक सशक्तिकरण, 3- आर्थिक सशक्तिकरण, 4- राजनीतिक सशक्तिकरण, 5- सांस्कृतिक सशक्तिकरण, 6- धार्मिक सशक्तिकरण, 7- मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण, 8- कार्य स्थल पर सशक्तिकरण, 9- तकनीकी सशक्तिकरण, 10- शैक्षिक सशक्तिकरण, इन सभी क्षेत्रों में सशक्तिकरण के बगैर नारी का सशक्तिकरण अधूरा है। सवाल यही है कि शक्ति का केंद्र बिंदु,या नियंत्रण बल किधर काम करता है। शिक्षा सशक्तिकरण का केवल एक माध्यम है उपकरण नहीं। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में यौनिक वरीयता का समापन कैसे हो यह एक यक्ष प्रश्न विश्व की समस्त नारी के समक्ष मौजूद है। नारी को न जाने कब तक कामुकता का शिकार बनाया जाएगा। इसलिए इस ताने-बाने में सम्मानजनक स्थान दिलाने एवं पाने ,दोनों के लिए नारी को स्वयं प्रयास करते हुए सशक्तिकरण के सभी आयामों या क्षेत्र में सशक्त बनने की चुनौतियां मौजूद हैं।

KEYWORDS:

नारी सशक्तिकरण, आयाम, यौनिक वरीयता, नियंत्रण केंद्र, कामुकता।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
27th November 2025	30th November 2025

प्रस्तावना–

महिला सषक्तिकरण कैसे हो रहा है ? सषक्तिकरण की गति कितनी रही है। वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कैसी है ? स्थिति मे परिवर्तन कैसे हो रहा है ? तथा इन सभी का प्रमुख श्रेय षिक्षा के प्रसार – प्रचार को है, फिर भी स्त्री षिक्षा में चुनौतियाँ मौजूद है। स्वतन्त्र भारत में इनकी स्थिति में निः संदेह परिवर्तन हुआ है फिर भी समस्याएं मौजूद है इसलिए वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कैसी है, मूल्यांकन की आवष्यकता महसूस हो रही है। आधी दुनिया का सच यह है कि बदलाव आया है। यहां पितृसत्ता या मातृसत्ता का सवाल नहीं है बल्कि लैंगिक विषमता को चीरते हुए तमाम भारतीय महिलाओं ने राष्ट्र के निर्माण में जो माहती भूमिका निभाया है और निभा रही हैं उससे नए भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।संविधान के 73 में एवं 74 में संशोधन ने महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर दिया है। हालांकि अभी भी प्रधानपति, विधायकपति अपनी हुकूमत चलते हैं लेकिन निकट भविष्य में महिलाओं ने समाज में अपना उचित स्थान पाने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं जिससे महिलाओं की दशा में गुणात्मक अंतर आएगा।

विषमता के सामाजिक, धार्मिक एवं गरीबी के कारणों को पीछे करते हुए भारतीय महिलाएं राजनीति ,अर्थव्यवस्था, तकनीकी, इंजीनियरिंग ,चिकित्सा ,एवं स्वास्थ्य, सैन्य क्षेत्र, तथा शिक्षा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी होने से न केवल लिंग आधारित विभेद दूर हुए अपितु नारी जाति ने देश की मुख्यधारा के साथ कदमताल प्रारंभ कर दिया है ।महिला अध्ययन का नजरिया भी बदला है। सशक्तिकरण के सभी या क्षेत्र में नारी जाति को सशक्त बनने की चुनौतियां मौजूद हैं। नारी सशक्तिकरण की कई क्षेत्रो में आवष्यकता महसूस हो रही है–

1– पारिवारिक सशक्तिकरण–

महिला सशक्तिकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा परिवार ही रहा था प्राचीन काल से। घर के बड़े बुजुर्ग बच्चियों पर तमाम तरह की बाध्यताएं लाद दिया करते थे। परंतु हमारे परिवारों का दृष्टिकोण भी वर्तमान समय में काफी कुछ बदल चुका है।केवल कुछ परिवारों में है कि लड़की पराया धन है। अर्थात् महिलाओं सभी तरह के सशक्तिकरण का पहला आधार परिवार ही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सबसे अधिक अपराध भारत के कुल पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में होते है[1]। वास्तव में महिलाओं के प्रति दोहरी नीति परिवार में ही होती हैं। यदि बेटी है तो थोड़ी बहुत आजादी सभी परिवारों में है और यदि बहु है तो उसे घर की इज्जत मानते हुए पर्दे में रखने की बात होती है। यदि पर्दे को महिला ने छोड़ भी दिया तो भी तो वहीं घर की आबरू हैं। इसलिए बगैर पति मर्जी के कोई काम न करें। और न ही वह कोई निर्णय लेने में स्वतंत्र है। साहित्यकार भीष्म साहनी[2] ने बसंती, उपन्यास में नारी अधिकारों के प्रति अपने पात्रों के माध्यम से तीव्र चेतना जागृत करने की कोशिश की। एसे ही अनेकों रचनाएं हैं जो पुरुष एकाधिपत्य को को दर्शाती हैं।दहेज की शिकार महिला में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल नंबर पर है[3]। घरेलू हिंसा विधेयक बनने के बाद भी ऐसी हिंसा कम नहीं हो रही है । उत्तर प्रदेश में 1090 से ज्यादा 100 नम्बर डायल होता है। अतः परिवार में ही महिला को सशक्त बनने की जरूरत है।

2– सामाजिक सशक्तिकरण–

सामाजिक सशक्तिकरण परिवार के बाद समाज है जो अनेकों तरह की प्रतिबद्धताए नारी पर लगाकर नारी अधिकारों को सीमित करता है। सती प्रथा, विधवा विवाह प्रतिबंध, बाल विवाह, इत्यादि सामाजिक समस्याएं रही है।अब इनके बंधन टूटे हैं फिर भी कहीं न कहीं समाज महिलाओं पर जितनी बंदीशे लगाया उसकी धार्मिक मान्यता का हवाला दिया।जैसे सती को ही ले तो उसमें हुआ कि सती हो जाने से पति की सात पुरखे तर जायेंगे। न जाने कितने जुल्म महिलाओं ने झेला । गांवों में अभी भी पर्दा प्रथा मौजूद है। छेड़छाड़ भले ही करने से डरने लगा है परंतु फब्बियां तो बहुतों लोग कर ही देते हैं। कुल मिलाकर दर्जे के लिहाज से नारी को दोयम दर्जे का मानना भारतीय समाज की नियति बन गई है। अब स्वयं नारी को ही इससे लड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र में 23अप्रैल 2006को पृष्ठ संख्या 1तथा 24 अप्रैल को पृष्ठ संख्या 13 पर चौंकाने वाली खबर छपी थी कि सर्वाधिक कन्या भ्रूण हत्या बनारस में तथा भदोही में हर दिन बारह भ्रूण हत्याएं होती है[4]। वेश्यावृत्ति अभी भी मानव समाज में पुरुष के माथे पर ही कलंक जैसा है क्योंकि महिला का क्या वह तो बेचारी भी है, बेबस और लाचार भी है तथा आर्थिक पराधीनता एवं अनैतिक व्यापार की मारी होती हैं। कुल मिलाकर महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है।

3– आर्थिक सशक्तिकरण–

जीवन की अधिकांश समस्याएं अर्थ के इर्द–गिर्द ही घूमती हैं। जब तक महिला आर्थिक स्वावलंबन नहीं पाएगी तब तक उसकी समस्याएं बनी ही रहेगी महिला अपने घरेलू कार्यों के मूल्य स्वरूप पति से सिंदूर, टिकुली कब तक लेती रहेगी। 1987 में गठित इला भट्ट कमेटी[5] ने स्वरोजगार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि खेती में काम करना घरेलू काम करने के कई तरीकों को स्वरोजगार कहते हैं परंतु इसमें महिला कितने तनाव ,दबाव में रहती है ।अर्थात स्वरोजगार आर्थिक सशक्तिकरण तब है जब महिला बिना किसी बोझ के ऐसे कार्यों को स्वेच्छा से करती है और स्वयं की सृजनशक्ति से अर्थ उपार्जन का उपाय करती है और उसके मूल्य स्वरूप प्राप्त प्रतिदान पर उसका अधिकार होता है, जिसे वह स्वेच्छा से अपने परिवार पर खर्च करती है तो उसे ही आर्थिक स्वावलंबन कहते हैं।

4– राजनीतिक सशक्तिकरण–

इस प्रकार के सशक्तिकरण की चर्चा खूब होती है। परंतु गौर तलब है कि कुछ चुनिंदा घरों की नारी ही राजनीति में सशक्त हैं। बाकी लगभग लगभग 99.99 प्रतिषत घरों की महिला पुरुष राजनीति की सहधर्मिणी हैं। केवल पंचायती राज को छोड़ दें तो आम महिला राजनीतिक सशक्तीकरण का सपना भी नहीं देखती तो यह कैसा राजनीतिक सशक्तीकरण है। विधायक या सांसद बनना केवल कुछ परिवारों की नारी को ईश्वरीय वरदान माना जा सकता है। ममता बनर्जी या मायावती जैसी जमीनी नेता या ऐसे और भी मुख्यमंत्री, विधायक या सांसद केवल एक्का दुक्का नमूने ही है।उनके उदाहरण देकर भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण महिला के परिप्रेक्ष्य से सोचना बेमानी होगी। अभी हाल ही में भारतीय महिला की राजनीतिक शक्ति करण की दिशा में महिला आरक्षण के झुनझुना को भी पकड़ा दिया गया है लेकिन वह भी 33 प्रतिषत । जबकि उसे 33 प्रतिषत का प्रतिरूपण सही से तभी होता जब प्रत्येक राजनीतिक दलों को अपने वोट में अपने सीट में 33 प्रतिषत दिया जाता तो महिला आरक्षण बड़ी सरलता से हो जाता। परंतु ऐसा न करके केवल दिखावा कर दिया गया है।

5–धार्मिक,एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण–

शायद महिला का सबसे अच्छा सशक्तिकरण_धार्मिक,एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण हुआ है इसे खूब प्रचारित और प्रसारित भी किया जाता है और भारतीय महिलाएं भी इसे बड़े मन से प्रफुल्लित होकर इसकी गौरव गाथा करती हैं।पुरुष भी इस बात का बखान करते हैं कि आज हमारी मैडम फला उपवास है और महिला भी इससे खुश होती है परंतु क्या महिला पूजा का सामान खुद के पैसे से ले पाती है नहीं इसलिए सही मायने में धार्मिक एवं सांस्कृतिक शक्ति करण तो भारतीय परंपरा का अंग है। इस क्षेत्र में सशक्तिकरण का सही स्वरूप तभी है जब पश्चिमीकरण से इसकी रक्षा करते हुए भारतीय पुरातनता को, भारतीय ज्ञान परंपरा को इस रूप में परिमार्जित किया जाए की प्राचीन दकियानूसी अवधारणाएं महिलाओं को पुनः कब पुराने विचारों से निकलकर नए विचारों को नए कलेवर में प्रस्तुत करते हुए भारतीय नारी का स्वयं के संबल से स्वयं के अर्थोपार्जन से स्वयं के विचार एवं चिंतन से महिला का सांस्कृतिक सशक्तिकरण होगा ।

6–मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण–

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के बगैर सारी सशक्तिकरण बेकार हैं।जब तक महिला मन से सशक्तता नहीं आएगी तब तक वह पराधीन रहेगी। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा अधिकार अधिनियम, नई शिक्षा नीति 2020 और तमाम तरह की जो वैधानिक परिवर्तन का आगाज अभी शुरू हुआ है उससे प्रत्येक घरों में बालिका शिक्षा को लेकर एक नई जागृति पैदा हुई है। इससे घर के सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहने सभी मनोवैज्ञानिक रूप से अपने–अपने नजरिए में बदलाव ला रही हैं।यही महिलाओं का मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण है।

7– कार्य स्थल पर सशक्तिकरण–

वर्तमान में महिला के सामने यह प्रश्न एक चुनौती बनकर उभरा है।बड़ी हिम्मत करके बेचारी ऑफिस तक पहुंचती है,परंतु क्या पता की ऑफिस के चपरासी के काले चश्मे पर भी धूल के कण ऐसी हैं कि उसका परावर्तन नारी के किसी जगह पर जाकर चिपका रहता है।अभी सरकारी नौकरी में तो कम,परंतु प्राइवेट नौकरी में बॉस लोग भी काले चश्मे से नहीं ,सफेद चश्मे से बिना ग्लास के चश्मे से उसे कैद कर लेता है।इसलिए महिला को नौकरी पेशा में बहुत फूंक फूंककर कदम रखना पड़ता है ।यदि अविवाहित लड़की नहीं बल्कि एक महिला अर्थात 25 वर्ष से कम उम्र की कोई अविवाहित महिला किसी जॉब में मौजूद होती है तो उस पर न जाने कितने प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाकर महिला को तौहीन किया जाता है।रेडियो पर गृह लक्ष्मी नाम से इसकी परिचर्चा का भी एक उल्लेख प्राप्त होता है[6] कि संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट है कि भारत में 98 प्रतिषत विभाग पर अभी पुरुषों का ही वर्चस्व है ऐसी स्थिति में महिलाओं को पुरुषों के बराबर होने में अभी हजारों साल और लगेंगे। वास्तव में आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक सशक्तिकरण तभी प्रतिबिंबित होता जब कार्य स्थल पर महिला सशक्तिकरण होगा।_

8–शैक्षिक एवं तकनीकी सशक्तिकरण–

शिक्षा एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से सभी समस्याओं का समाधान मिलता हैं। महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा ही है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कानूनों के साथ साथ पारिवारिक एवं सामाजिक माहौल बालिका शिक्षा के प्रति हुआ है। यह बड़े हर्ष का विषय है। डॉ राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। पंडित नेहरू ने भी इसका समर्थन किया कि एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है[7]। अस्तु केवल कानून बनाने से नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा ही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम 10 प्रतिशत महिला शिक्षा पर खर्च होगा तभी जाकर आधी आबादी कुछ हासिल कर पायेगी साक्षरता दर में वृद्धि होनी चाहिए। महिला शिक्षिका को प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक की सभी नियुक्ति में 50 प्रतिशत का आरक्षण करना चाहिए और इससे भी ज्यादा सुरक्षित वातावरण बनाना देश, समाज एवं राष्ट्र की जिम्मेदारी है। नगरीय महिला साक्षरता तो कुछ ठीक भी है परंतु। ग्रामीण महिला साक्षरता दर बहुत न्यूनतम है। दोहरी स्कूल प्रणाली अर्थात महिला महाविद्यालय की जरूरत ही अब क्या है।सह शिक्षा व्यवस्था पर प्रशासनिक नियंत्रण दुरुस्त रखने की जरूरत है। अतः महिला शिक्षा के प्रति चेतना की आवश्यकता है। उत्तर भारत में उत्तराखंड की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है बाकी के राज्य पिछड़े है। दक्षिणी भारत में कुछ ठीक स्थिति है[8]। कुल मिलाकर महिला शिक्षा के लिए साक्षरता एक आवश्यक शर्त है।

महिला सशक्तिकरण के तकनीकी सशक्तिकरण का आशय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानो, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी अभी निराशाजनक है जिसे कौशल युक्त करने की जरूरत है,तब जाकर सशक्तिकरण की यांत्रिकी में सार्थक बदलाव दिखाई देगा।

निष्कर्ष –

महिलाओं का सशक्तिकरण करना है या महिलाएं सशक्त है ये प्रश्न यह दर्शाता हैं कि महिलाओं की दशा, स्थिति कैसी है। महिला सशक्तिकरण शब्द यह दर्शाता है कि महिलाओं को किन किन क्षेत्रों से समस्याएं या चुनौतियां मिल रही है,उसका समाधान निकालना है। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति में सुधार की जरूरत है। सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है जिससे महिलाओं के प्रति हमारे सामाजिक चिंतन को बदला जा सके। आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण बिना स्वरोजगार, स्वावलंबन के संभव नहीं हैं। महिलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण खूब पर्याप्त है, परंतु महिलाओं का सशक्तिकरण करना है या महिलाएं सशक्त है ये प्रश्न यह दर्शाता हैं कि महिलाओं की दशा, स्थिति कैसी है। महिला सशक्तिकरण शब्द यह दर्शाता है कि महिलाओं को किन किन क्षेत्रों से समस्याएं या चुनौतियां मिल रही है,उसका समाधान निकालना है। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति में सुधार की जरूरत है। सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है जिससे महिलाओं के प्रति हमारे सामाजिक चिंतन को बदला जा सके। आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण बिना स्वरोजगार, स्वावलंबन के संभव नहीं हैं। महिलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण खूब पर्याप्त है, परंतु इसमें महिला स्वयं के धन से जब कुछ करें तभी उसका महत्व है मनोवैज्ञानिक रूप से एक ऐसी वातावरण की जरूरत है ताकि मन से स्त्री की पराधनीटा निकल जाए कार्य स्थल पर भी महिलाएं अपने आप को जब तक सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक उनका आर्थिक स्वावलंबन जागृत ही नहीं हो पाएगा इसलिए हर ऑफिस, रोड़, चौराहा, गलीकुची सब जगह पर उसके सुरक्षित होने का वातावरण बनाना चाहिए। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का केवल एक सबसे आसान रास्ता शैक्षिक एवं तकनीकी सशक्तिकरण दिखाई प्रतीत होता है। इसलिए शिक्षा अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यादि को सशक्ति से लागू करना होगा तभी महिलाओं की दशा,स्थिति अवदशा से निकलकर अधिक नहीं केवल बराबरी पर आ जाएगी तो हम महिलाओं को परमसंतोष होगा।

REFERENCES

1. वर्मा, सवलिया बिहारी व अन्य, महिला जागृति और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृष्ठ,238,

2. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण, विमर्श एवं यथार्थ, पोइंटर पब्लिकेशन,जयपुर, पृष्ठ,102

3. अमर उजाला,दैनिक समाचार पत्र,19 जून 2006.

4. उपाध्याय, ब्रिजेश कुमार2006. शोध प्रबंधए, भारत में महिला सशक्तिकरण एक समीक्षात्मक अध्ययन वीर बहादुर, सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय , जौनपुर

5. नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, पृष्ठ,236,

6. वही शोध प्रबंध

7. वर्मा, सवलिया बिहारी व अन्य, पृष्ठ,138

8. योजना, अगस्त, 2001, पृष्ठ 11एवं 1